कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

तीसरी मंजिल, एन.सी.यू.आई. बिल्डिंग, 3 सीरी सांस्थानिक क्षेत्र,

अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली - 110016

संदर्भ सं. पीएफडी-2023-24-000188 **दिनांक: 8 अप्रैल 2024**

<u>शुद्धिपत्र</u>

विषय: - चयनित मूल्यवर्धित कृषि उत्पादों के लिए बाजार के आकलन और उनके निर्यात को बढ़ाने हेतु संज्ञान पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए एजेंसी की नियुक्ति

संदर्भ: उपर्युक्त उल्लिखित विषय पर दिनांक 14 मार्च 2024 का नोटिस

नोटिस के पृष्ठ 6 के पैरा 10 में दी गई समय-सीमा को निम्नानुसार संशोधित किया गया है: -

क्र. सं.	गतिविधियां	14 मार्च 2024 के नोटिस में निर्धारित तिथि	संशोधित समय-सीमा
3	बोली जमा करने की अंतिम तिथि	08/04/2024 शाम 5:00 बजे	**सोमवार, 22 अप्रैल 2024 शाम 5:00 बजे तक**
4	तकनीकी मूल्यांकन के लिए बोलियाँ खोलना	10/04/2024 सुबह 11:30 बजे	**गुरुवार, 25 अप्रैल 2024 (सुबह 11:30 बजे)**
5	बोलीदाताओं (टीम लीडर और एसोसिएट्स) द्वारा उपर्युक्त विषय पर लाइव प्रस्तुति और मूल्यांकन	10/04/2024 दिन के 03:00 बजे	**गुरुवार, 25 अप्रैल 2024 (दोपहर 03:00 बजे से)**
6	वित्तीय बोली खोलना		
7	सर्वोच्च स्कोरर की घोषणा (सूचना ई-मेल से)		

2. **परामर्शदात्री फर्मों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर , 14 मार्च 2024 के नोटिस में निम्नलिखित संशोधन भी किए गए हैं:**

2. 1. पृष्ठ 2. **खण्ड** 5.2 **"चयनित मूल्य वर्धित उत्पादों के लिए बाजार अध्ययन:**

5वें बुलेट बिंदु को इस प्रकार पढ़ा जाए - "प्रत्येक उत्पाद (5 एफपीओ/स्टार्टअप, 10 एमएसएमई, 5 बड़ी कंपनियां) के लिए 20 प्लेयर्स की विस्तृत वर्तमान प्लेयर प्रोफाइल और मौजूदा क्षमता विकसित करना।"

2.2. खण्ड 6. प्राथमिक सर्वेक्षण

निम्नलिखित को खण्ड 6 के अंत में जोड़ा जाए।

प्राथमिक डेटा में 150 आउटलेट्स को कवर करते हुए निम्नलिखित शहरों में सर्वेक्षण का संचालन शामिल होगा:

(i) दिल्ली एनसीआर, (ii) मुंबई (iii) कोलकाता, (iv) चेन्नई (v) बेंगलुरु, (vi) पुणे (vii) अहमदाबाद (viii) गुवाहाटी।

नोट: उपरोक्त सभी निर्दिष्ट शहरों को सर्वेक्षण में शामिल किया जाएगा।

2.3. पृष्ठ 4. **खण्ड 8. तकनीकी और वित्तीय बोली प्रस्तुत करने के लिए दिशानिर्देश:**

उप-खण्ड (क) में , निम्नलिखित को अंतिम पंक्ति में जोड़ा जाए: **"एपीडा नई दिल्ली के पक्ष में आहरित डिमांड ड्राफ्ट के रूप में 2,00,000/- रुपये (दो लाख रुपये मात्र) की ईएमडी।**

2.4. पृष्ठ 5. **खण्ड 9.** बोलीदाताओं के लिए पात्रता मानदंड

उप-खण्ड (ग) को इस प्रकार पढ़ा जाए:-

अध्ययन के टीम लीडर के पास कृषि/खाद्य प्रसंस्करण/कृषि व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री या एमबीए के साथ कम से कम 10 साल का अनुभव और कृषि-व्यवसाय परामर्श में 5 साल से अधिक का अनुभव होना चाहिए।

उप-खण्ड (घ) को इस प्रकार पढ़ा जाए:-

टीम के अन्य सदस्यों के पास कृषि/खाद्य प्रसंस्करण/कृषि व्यवसाय प्रबंधन में कम से कम स्नातकोत्तर डिग्री या एमबीए होना चाहिए और 2-3 साल का अनुभव होना चाहिए।

2.5. पृष्ठ 5. **खण्ड 9. बोलीदाताओं के लिए पात्रता मानदंड**

बोली दस्तावेज़ के खण्ड 7 (ज) को ध्यान में रखते हुए उप-खण्ड (ड.) को हटाया हुआ माना जाए। उप-खण्ड (च) को (ड.) के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाए।

2.6. पृष्ठ 5. खण्ड 9. बोलीदाताओं के लिए पात्रता मानदंड

उप-खण्ड (च) (i) ((ड.) (i) के रूप में पुनः क्रमांकित) को निम्नलिखित के साथ प्रतिस्थापित किया जाए:

"**पिछले 3 वर्षों में कृषि/प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र में एक से अधिक अध्ययन निष्पादित किए गए हो।"**

उप-खण्ड (च) (ii) ((ड.) (ii) के रूप में पुनः क्रमांकित) को निम्नलिखित के साथ प्रतिस्थापित किया जाए:

"पिछले तीन वर्षों के भीतर कृषि विकास के क्षेत्र में भारत सरकार या किसी भी केंद्रीय सरकारी संगठन के लिए कम से कम एक अध्ययन या एक असाइनमेंट पूरा किया हो।"

2.7. पृष्ठ 6. **खण्ड 11. तकनीकी प्रस्तुति के बाद बोलीदाताओं के लिए मानदंड**

मानदंड कॉलम के सामने क्रम सं. 3 को इस प्रकार पढ़ा जाए:

कृषि/प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र में पूर्ण किए गए अध्ययनों की संख्या

5 अध्ययन तक: 5 अंक

5 अध्ययन या अधिक: 10 अंक

2.8. पृष्ठ 9. **खण्ड 18. परिसमाप्त क्षति**

उप-खण्ड 18.1:5वीं पंक्ति "बोली दस्तावेज़ और/या अनुबंध में निर्दिष्ट प्रतिशत" को **"अनुबंध मूल्य का 10% (दस प्रतिशत)"** के रूप में पढ़ा जाए।

उपखण्ड 18.2 तीसरी पंक्ति में आने वाले शब्द "(उस तिमाही के)" को हटाया हुआ माना जाए।

2.9. पृष्ठ 10. **खण्ड 18. भुगतान की शर्तें"** को खण्ड 20. "भुगतान की शर्तें" के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाए।

2.10. पृष्ठ 10. **खण्ड 18 के नीचे की समय-सीमा** (खण्ड 20 के रूप में पुनः क्रमांकित) को इस प्रकार पढ़ा जाए:

"अध्ययन शुरू होने की तारीख से 120 दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा।"

2.11. पृष्ठ 11. **टिप्पणियाँ:** (क) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए: -

अग्रिम भुगतान जारी करने से पहले चयनित एजेंसी को क्षतिपूर्ति बांड और कार्य-निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करना अपेक्षित है। कार्य-निष्पादन प्रतिभूति अनुबंध के कुल मूल्य का 10% होगी जो सभी दायित्वों के पूरा होने की तारीख से साठ दिनों की अवधि के लिए वैध होगी।

2.12. पृष्ठ 11. **खण्ड 19** को खण्ड 21 के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाए।

2.13. पृष्ठ 12. **खण्ड 20** को खण्ड 22 के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाए।

आवेदन प्रपत्र

क्र. सं. 17. विवरण इस प्रकार पढ़ा जाए:

> **"पिछले पांच वर्षों के भीतर कृषि विकास के क्षेत्र में भारत सरकार या किसी भी केंद्र सरकार के संगठन के लिए चल रहे और पूरे किए गए अध्ययन/कार्य" (दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें)**

क्र. सं. 18: विवरण इस प्रकार पढ़ा जाए:

> **पिछले 3 वर्षों में कृषि/प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र में पूरा किया गया अध्ययन (दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें)**

नोट: जिन बोलीदाताओं ने 14 मार्च 2024 के नोटिस के जवाब में अपनी बोली जमा की होगी , उनके पास इस शुद्धिपत्र को देखते हुए अपनी बोली को संशोधित करने का विकल्प है।